ई माइग्रेट परियोजना

परिदृश्य

"उत्प्रवास को सरल, पारदर्शी, व्यवस्थित और मानवीय प्रक्रिया में बदलना"

सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय
प्रवासी रोजगार प्रभाग
भारत सरकार

उद्देश्य

- ऐसी प्रकियाएं और एप्लीकेशन डिजाइन करना और उन्हें कार्यान्वित करना जिससे एमिग्रेशन में मदद मिले
- प्रकिया और तकनीक में बदलाव लाकर उत्प्रवासी कामगारों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना जिससे उनके समग्र अनुभव में पर्याप्त सुधार हो
- उत्प्रवास चक्र में प्रक्रियाओं को सरल बनाना और उनकी प्रभावकारिता में सुधार लाना
- ऐसे प्रमुख पणधारियों में अंतः संबंध स्थापित करना जो सुलभ हो तथा जिनसे आदान प्रदान सुविधाजनक हो

ई माईग्रेट
सरल सुरक्षित प्रवासन

www.emigrate.gov.in

प्रवासी रोजगार प्रभाग
विदेश मंत्रालय
द्वारा प्रशासित

ई माईग्रेट परियोजना के बारे में

ई माईग्रेट
सरल सुरक्षित प्रवासन

ई माईग्रेट परियोजना उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत समादेशित अपने कार्यकलापों के स्वचलन हेतु विदेश मंत्रालय के प्रवासी रोजगार प्रभाग की एक कायान्तरण पहल है। उत्प्रवास महासंरक्षी (पी.जी.ई) के अधीन प्रवासी रोजगार प्रभाग अपने 10 उत्प्रवास संरक्षी (पी.ओ.ई) कार्यालयों के माध्यम से जागरूकता और सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा सरल और सुरक्षित प्रवास अर्थात् ''सरल, सुरक्षित प्रवासन'' को व्यवस्थित करते हैं तथा उसे प्रचारित करते हैं।

प्रवासी रोजगार प्रक्रिया में शामिल सभी मुख्य बाहरी पणधारी जैसे भर्ती एजेंट, विदेशी नियोक्ता, परियोजना निर्यातक और आंतरिक पणधारी अर्थात् पासपोर्ट सेवा परियोजना, भारतीय मिशन, ओ.डब्ल्यू.आर.सी और गृह मंत्रालय का आप्रवासन ब्यूरो, एक ही प्लेटफार्म पर इलैक्ट्रानिक रूप से जुड़े हुए हैं ताकि प्रवासी भर्ती और उत्प्रवासन हेतु भारतीय कामगारों/पेशेवरों को पारदर्शी, तीव्र, कम लागत वाला और कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान किया जा सके। यह परियोजना विदेश में भारतीय कामगारों को सुरक्षित और परेशानी मुक्त प्रवास तथा रोजगार में मदद करती है।

ई माईग्रेट प्रणाली (emigrate.gov.in) निम्नलिखित में सक्षम बनाती है :-

- विदेशी रोजगार हेतु उत्प्रवासन को ''विनियमित'' करने के लिए पहुंच और क्षमता में बढ़ावा
- उत्प्रवासियों को अर्तराष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करना और आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क करना
- अलग-अलग राज्य में कार्यरत अवैध एजेंटों के बारे में सूचना एकत्रित करना और उनकी गतिविधियों को रोकना
- पणधारियों (आर.ए, एफ.ई और पी.ई) का ऑनलाइन पंजीकरण
- उत्प्रवासियों के लिए सूचना की उपलब्धता (आर.ए/एफ.ई/पी.ई, उत्प्रवास क्लियरेन्स, रोजगार करारनामा आदि की अवस्थिति का सत्यापन)
- तीव्र और ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र
- पणधारियों हेतु उत्प्रवासन पूर्व औपचारिकताएं (रोजगार मांग, विज्ञापन एवं भर्ती और उत्प्रवास स्वीकृति)
- व्यथित उत्प्रवासियों को बचाना/पुन: तैनात करना/ देश वापसी कराना
- सरकारी मंत्रालयों (जैसे विदेश मंत्रालय, कौशल विकास), आई.एल.ओ, यू.एन महिला, आई.ओ.एम, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए उत्प्रवास आंकड़ों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

अब तक की यात्रा

मई 2014
उत्प्रवास स्वीकृति की ऑनलाइन प्रक्रिया से शुरूआत करके पीओई कार्यालयों में ई माईग्रेट परियोजना रोलआउट की गई।

जनवरी 2015
भारतीय हवाई अड्डों से दस्तावेज रहित आप्रवासन

जून 2015
नर्सों की उत्प्रवास स्वीकृति को ई माइग्रेट के अंतर्गत लाया गया।

जून 2015
भारतीय मिशनों के माध्यम से १८ ईसीआर देशों के विदेशी नियोक्ताओं का पंजीकरण

मार्च 2016
१०० प्रतिशत दस्तावेज रहित उत्प्रवास स्वीकृति प्रक्रिया

अप्रैल 2016
ऑनलाइन पंजीकरण/ भर्ती एजेंटों का नवीकरण

अगस्त 2016
महिला कामगारों के लिए उत्प्रवास सुदृढ़ किया गया।

पणधारी और प्रक्रियाएं

eMigrate
सरल सुरक्षित प्रवासन

विदेश मंत्रालय, पी.जी.ई, पी.ओ.ई. भारतीय मिशन), आप्रवासन ब्यूरो, राज्य सरकारे /पुलिस

- दस्तावेज रहित प्रक्रिया
- सरलता से सूचना प्राप्त करना (उत्प्रवासियों, आर.ए, एफ.ई के बारे में)
- नीतियों और सुरक्षा उपायों का केन्द्रीकृत क्रियान्वयन
- आर.ए/एफ.ई/पी.ई पर प्रभावी नियंत्रण
- आप्रवासन ब्यूरो के साथ आंकड़े साझा करने के माध्यम से उत्प्रवासियों की यात्रा अवस्थिति
- आर.ए/एफ.ई को शिकायतों का आंनलाइन भेजा जाना

भर्ती एजेंट (आर.ए) विदेशी नियोक्ता(एफ.ई) परियोजना निर्यातक (पी.ई)

- पंजीकरण
- भर्ती हेतु मांग प्रस्तुत करना (या स्वीकार करना)
- प्रकाशित किए गए विज्ञापनों की सूचना
- पीओई से उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करना
- शिकायतों/समस्याओं पर प्रतिक्रिया करना

उत्प्रवासी

- आर.ए/एफ.ई का सत्यापन
- संविदा, वीजा और बीमा तक पहुंचने के लिए ई लॉकर
- उत्प्रवासी पहचान पत्र
- दस्तावेज रहित आप्रवासन
- भारतीय हवाई अड्डे से स्वीकृति
- समस्या/शिकायत का निपटान

सरकारी मंत्रालय (विदेश मंत्रालय, कौशल विकास आदि), आई.एल.ओ, यू.एन, महिलाएं, आई.ओ.एम एवं शोधकर्ता

- उत्प्रवास प्रवृत्तियां
- मजदूरी ढांचा
- रोजगार निबंधन और शर्तें
- कार्य करने और रहने की स्थितियां
- शिकायत विश्लेषण
- कौशल आवश्यकताएं

ई माइग्रेट किस प्रकार आपकी सहायता करता है।

ई माइग्रेट
सरल सुरक्षित प्रवासन

विदेशी रोजगार हेतु उत्प्रवास प्रक्रिया

- एफ.ई ऑनलाइन मांग प्रस्तुत करता है →
- आर.ए मांग स्वीकार करता है →
- आर.ए, एफ.ई के साथ मिलकर भर्ती का कार्य करता है →
- उम्मीदवारों का चयन →
- चयनित उम्मीदवारों के लिए एफ.ई वीजा और हस्ताक्षरित करारनामा भेजता है →
- आर.ए पी.ओ.ई से उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है →
- पी.ओ.ई सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते हैं और उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करते हैं →
- उत्प्रवास स्वीकृति का ऑनलाइन मान्यकरण होने के बाद आप्रवासन ब्यूरो के माध्यम से भारतीय हवाई अड्डों से प्रस्थान

शिकायत निवारण (यदि कोई हो तो)

वेबसाइट :

मोबाइल ऐप (एंड्रायड हेतु)

आवेदन की अवस्थिति पता लगाने और उत्प्रवास स्वीकृति अवस्थिति सत्यापित करने के लिए ई माइग्रेट मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। निःशुल्क मोबाइल ऐप http://emigrate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

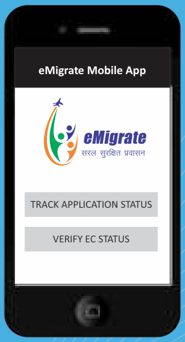

ई लॉकर

सभी सुसंगत दस्तावेजों जैसे हस्ताक्षर की गई रोजगार करारनामा, वीजा, पासपोर्ट, पी.बी.बी.वाई बीमा पॉलिसी, उत्प्रवास स्वीकृति पत्र, उत्प्रवासी पहचान पत्र की प्रतियां प्रत्येक उत्प्रवासी हेतु ई लॉकर में रखी जाती हैं। इनके गुम हो जाने के मामले में उत्प्रवासी किसी भी स्थान पर किसी भी समय कहीं से भी मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से इन दस्तावेजों तक पहुंच सकता है और इन्हे पुनः प्राप्त कर सकता है।

मीडिया में ई माइग्रेट

Saudi Gazette — Aug 7, 2016
Mission accomplished: Indian minister returns home contented

The Economic Times
UAE employers' registration for Indian workers made mandatory

NEW STRAITS TIMES ONLINE
Malaysian employers urged to register on eMigrate system to recruit Indian workers

DT NEWS news of bahrain
eMigrate system to assist Indian expats

Khaleej Times — GENERAL
India eases eMigrate system for foreign recruitment

India launched eMigrate system for Foreign Employers

MAIL TODAY
Government to track Indians working abroad with 'eMigrate' plan

Emirates 24|7 News
New rules for Indian nurses as demand soars

THE TIMES OF INDIA NRI
UAE employers' registration for Indian workers made mandatory

Sushma Swaraj @SushmaSwaraj
Passports @passportsevamea @CPVIndia
Visa @CPVindia
Saudi Arabia @IndianEmbRiyadh
Reg agents @ProtectorGenGOI
In distress @MEAQuery
9:36 a.m. · 07 Oct 16

पूरे भारत में उत्प्रवासियों को समर्थन देने वाला पी.ओ.ई नेटवर्क

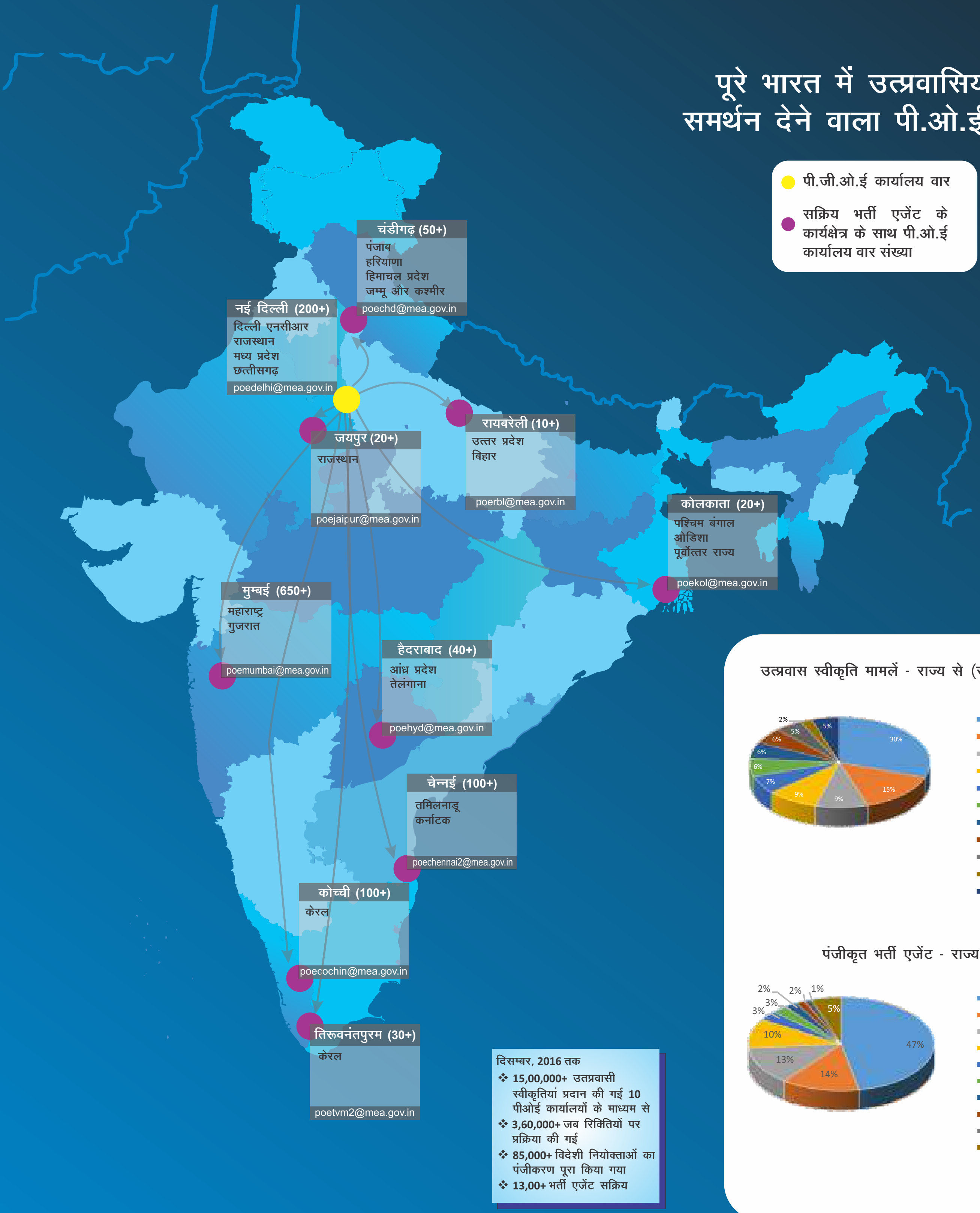

नक्शा पैमाने पर नहीं है

उत्प्रवास स्वीकृति मामलें - राज्य से (स्थायी निवास)

30%
15%
9%
9%
7%
6%
6%
6%
5%
2%
5%
उत्तर प्रदेश
बिहार
तमिलनाडू
पशिचम बंगाल
राजस्थान
पंजाब
आंध्र प्रदेश
केरल
तेलंगाना
ओडिशा
अन्य

पंजीकृत भर्ती एजेंट - राज्य से

47%
14%
13%
10%
3%
3%
2%
2%
1%
5%
महाराष्ट्र
केरल
दिल्ली
तमिलनाडू
पंजाब
तेलंगाना
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
पशचिम बंगाल
अन्य

दिसम्बर, 2016 तक

- 15,00,000+ उत्प्रवासी स्वीकृतियां प्रदान की गई 10 पीओई कार्यालयों के माध्यम से
- 3,60,000+ जब रिक्तियों पर प्रक्रिया की गई
- 85,000+ विदेशी नियोक्ताओं का पंजीकरण पूरा किया गया
- 13,00+ भर्ती एजेंट सक्रिय

विदेश मंत्रालय
प्रवासी रोजगार प्रभाग
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

ई माईग्रेट
सरल सुरक्षित प्रवासन

उत्प्रवास महासंरक्षी
अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
दूरभाष: +91-11-26874250
ई मेल: pge@mea.gov.in, usoe3@mea.gov.in

टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज द्वारा विकसित और प्रबंधित

TATA CONSULTANCY SERVICES
Experience certainty.

www.emigrate.gov.in

24X7 टोल फ्री हेल्पलाइन नं- : 1800 11 3090 (केवल भारत से)

ओडब्ल्यूआरसी हेल्पडेस्क : +91 124 2341002* ई मेल : helpline@owrc.in

ई माईग्रट हेल्पडेस्क : 011 26887772* ई मेल : helpdesk@emigrate.gov.in

* मानक दर लागू